भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1125

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं

1125. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य विकास पैकेज या योजना लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, आवश्यकता के अनुसार, पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनको बनाए रखने और स्थापित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व उस राज्य सरकार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधन-सीमा के भीतर, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

बुंदेलखंड क्षेत्र, दो राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत 13 ज़िले आते हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच के महत्व को समझते हुए, इस क्षेत्र में प्राथमिक और मध्यम स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों को मज़बूत करने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे में सुधार, मानव संसाधन की उपलब्धता और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गई हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आवश्यकताओं और जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की कमियों के आधार पर अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में पहल प्रस्तावित करने की छूट दी जाती है ताकि स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत किया जा सके। इन पहलों में बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन, निदान, उपकरण और दवाओं के लिए सहायता शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य को आवंटित संसाधन-सीमा के भीतर इन प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन करता है। प्रत्येक राज्य को दिये गए अनुमोदनों की संख्या कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) में दी गई है, जो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

इन केंद्रीय कार्यक्रमों की प्राथमिकता और प्रचालन का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधन उपलब्धता और कार्यनीतिक दृष्टि के आधार पर अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार देश भर में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों को मज़बूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है । चूँकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारें मानदंडों और अपनी आवश्यकता के अनुसार नई पहलों का प्रस्ताव देते हैं। भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार, एनएचएम (पीआईपी), पीएम-एबीएचआईएम, 15वें वित्त आयोग के तहत जाँच के बाद मंज़ूरी दी जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार राज्यों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करके सहायता प्रदान करती है जो विशेष रूप से जनजातीय आबादी की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर केंद्रित हैं। इसका लक्ष्य असमानताओं को कम करना और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है।

*****